**भारत सरकार**
**रसायन और उर्वरक मंत्रालय**
**औषध विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2142**
**दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**आवश्यक दवाओं की उपलब्धता**

**2142. श्री संजय दिना पाटीलः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मुंबई में विशेषरूप से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) और अन्य सार्वजनिक वितरण प्रणालियों के माध्यम से आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, वहनीयता और पहुंच के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मुंबई में इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे जनऔषधि केंद्रों (जेएके), आपूर्ति की गई दवाओं, कवर किए गए लाभार्थियों और प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मुंबई में किफायती दवाओं की निर्बाध उपलब्धता को प्रभावित करने वाली कमियों, आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाओं या परिचालन संबंधी समस्याओं की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जनऔषधि नेटवर्क को बढ़ाने, भेषज संभारतंत्र को सुदृढ़ करने, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मुंबई के निवासियों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा पहुंच में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

**<u>उत्तर</u>**
**<u>रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)</u>**

**(क):** प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपरकण ब्यूरो (पीएमबीआई) एक आईटी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली, स्टॉक स्थिति की नियमित समीक्षा, मांग के पूर्वानुमान और समय पर पुनः पूर्ति के माध्यम से मुंबई में संचालित जेएके सहित जन औषधि केंद्रों पर आवश्यक औषधियों सहित औषधियों की उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आने वाले रोगियों के जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) को कम करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत निःशुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) शुरू की है। इसके अंतर्गत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों

को उनके समग्र संसाधन बजट के भीतर, उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निःशुल्क आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों पर सुविधावार आवश्यक औषधि सूची (ईएमएल) उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है:

i. उप स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी-एएएम) - 113
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पीएचसी-एएएम) -179
iii. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) - 301
iv. उप-जिला अस्पताल - 318
v. जिला अस्पताल (डीएचएस) - 381

इस योजना के अंतर्गत दवाओं की खरीद करने और खरीद प्रणाली के सुदृढ़ीकरण/स्थापना, गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और भंडारण, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, शिकायत निवारण, मानक उपचार दिशानिर्देशों के प्रसार और आवश्यक दवाओं की खरीद और उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की निगरानी के लिए आईटी-सक्षम प्लेटफॉर्म डीवीडीएमएस (ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कार्यकलापों की निगरानी को सुगम बनाने के लिए एक केंद्रीय डैशबोर्ड विकसित किया गया है।

इसके अलावा, एनएचएम के तहत, एफडीएसआई सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए वार्षिक रूप से सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं।

**(ख):** दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 20,149 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं, जिनमें से 763 जेएके महाराष्ट्र राज्य में खोले गए हैं। इसके अलावा, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) के दौरान मुंबई में इस योजना के अन्तर्गत कार्यात्मक जन औषधि केंद्रों का विवरण निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | खोले गए नए जेएके की संख्या | संचयी रूप से कार्यात्मक जेएके की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 2023-24 | 11 | 73 |
| 2. | 2024-25 | 10 | 83 |
| 3. | 2025-26 | 16 | 99 |
| 4. | 2026-27 (दिनांक 30.06.2026 तक) | 6 | 105 |

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अन्तर्गत उत्पाद बास्केट में 2,110 दवाएं और 315 सर्जिकल, चिकित्सा उपभोज्य वस्तुएं और उपकरण शामिल हैं, जो सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों जैसे हृदयवाहिका, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी और गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल दवाएं और न्यूट्रास्युटिकल्स, को कवर करते हैं। लैब रिएजेन्ट्स और टीकों को छोड़कर, राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में शामिल लगभग सभी जेनेरिक दवाएं इस उत्पाद बास्केट का हिस्सा हैं।

मुंबई में जन औषधि केन्द्रों से औषधियां लेने वाले लाभार्थियों की संख्या पर पृथक रूप से आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं। जन औषधि केन्द्र खुदरा आउटलेट हैं जो सीधे ग्राहकों को औषधियों की बिक्री करते हैं।

जन औषधि केन्द्रों में आने वाले नागरिकों की संख्या नागरिकों की आवश्यकता और चिकित्सकों की ओर से लिखे जाने वाले प्रेस्क्रिप्शनों पर निर्भर करती है। हालांकि, पूरे देश में स्थित जन औषधि केन्द्रों में प्रतिदिन लगभग 15 लाख नागरिक आते हैं।

पीएमबीजेपी के अन्तर्गत, मासिक खरीद के आधार पर सामान्य प्रोत्साहन और विशेष श्रेणी के आवेदकों को एकमुश्त विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पीएमबीजेपी के दिशानिर्देशों के अनुसार मुंबई में स्थित जन औषधि केन्द्रों को 0.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

**(ग) और (घ):** जी, नहीं। किसी विशिष्ट कमी, आपूर्ति-श्रृंखला बाधाओं या परिचालन संबंधी चुनौतियों की पहचान नहीं हुई है जो मुंबई में वहनीय औषधियों की निर्बाध उपलब्धता को प्रभावित करती हों। मुंबई सहित पूरे देश में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्टॉक की कमी को कम करने के लिए निरंतर निगरानी और समुचित सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

आपूर्ति में किसी भी कमी को दूर करने और जेएके में उत्पादों की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सितंबर 2024 से, योजना उत्पाद बास्केट में शीर्ष 100 बिक्री होने वाली औषधियों और बाजार में तेजी से बिक्री होने वाली 100 औषधियों सहित 200 सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली औषधियों का जेएके द्वारा स्टॉक रखे जाने को प्रोत्साहित किया गया है, जिसके तहत जेएके मालिक इन औषधियों के अपने द्वारा रखे गए स्टॉक के आधार पर मासिक प्रोत्साहन के पात्र हैं।

(ii) एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को जोड़ने के लिए एक संपूर्ण सूचना-प्रौद्योगिकी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें पांच मालगोदाम और देश भर में वितरकों, जिनकी वर्तमान संख्या 42 है, का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क शामिल है।

(iii) इसके अतिरिक्त, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा 400 तेजी से बिक्री होने वाले उत्पादों की नियमित निगरानी की जाती है और इनकी मांग का निरंतर पूर्वानुमान लगाया जाता है। साथ ही, खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पूर्वानुमान पद्धति को डिजिटाइज़ करने के कदम उठाए गए हैं।

*****